

केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान
CENTRAL SILK TECHNOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE
बंगलोर/BANGALORE - 560 068

प्रश्न/PERFORMA

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम
(साफ अक्षरों में)
Name of the Officer/Employee
(in Block letters)
2. पद/Designation/अनुभाग/Section
3. राजपत्रित/अराजपत्रित
Gazetted/Non-Gazetted
4. नियुक्ति की तिथि
Date of Appointment
5. शैक्षणिक योग्यता
Educational Qualification
6. जन्म तिथि व आयु
Date of Birth & Age
7. आप किस प्रान्त के रहने वाले हैं
State, to which you belong
8. मातृभाषा/Mother-Tongue
9. क्या आपने प्राइमरी/समिडिल अथवा प्राप्तांक मैट्रिक स्तर तक हिन्दी को एक विषय के रूप में अध्ययन किया है ? यदि हाँ, तो कृपया पूरा विवरण दें ।
Whether studied Hindi as a subject at Marks secured Primary/Middle/Matric Standard ? If Yes, Please give details.
10. क्या आपकी किसी भी उपरोक्त परीक्षा का माध्यम हिन्दी था, यदि हाँ, तो कृपया पूरा विवरण दें ।
Was Hindi a medium of any of the above examination ? If yes, Please give details.

11. क्या आपने मैट्रिक अथवा इसकी समकक्ष परीक्षा के बाद (किसी भी रूप में) हिन्दी का अध्ययन किया है ? यदि हाँ, तो कृपया पूरा विवरण दें ।

Whether you studied Hindi (in any form) after Matriculation or its equivalent examination ? If yes, please give details

12. यदि आपने सरकारी अथवा गैर-सरकारी, किसी भी संस्था से हिन्दी की कोई परीक्षा पास की है तो कृपया उसका पूरा विवरण दें ।

If you have passed any other Hindi examination conducted by a Govt. Agency or by a Private Body, please give details.

जहाँ तक मुझे पता है और मेरा विश्वास है, उपर्युक्त विवरण बिल्कुल सही है ।

The particulars given above are correct to the best of my knowledge & belief.

दिनांक /Date :

हस्ताक्षर/Signature

हिन्दी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान संबंधी घोषणा

DECLARATION regarding proficiency in/working knowledge of Hindi.

* (कृपया गजभाषा नियम , 1976 के नियम 9 और 10 देखें)

* (please see Rules 9 & 10 of Official Language Rules , 1976)

** मैं इसके द्वारा यह घोषण करता हूँ कि निम्नलिखित के आधार पर मुझे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है/मैंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

I hereby declare that I possess proficiency in Hindi/have acquired a working knowledge of Hindi in view of the following :-

दिनांक/Date

हस्ताक्षर/Signature

* (संलग्न) जो लागू न होता है, उसे कृपया काट दीजिए ।

(Enclosed) Delete whichever is inapplicable.

1.18 (द) कार्यसाधक ज्ञान

यह समझा जाएगा कि किसी कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, यदि उसने :-

- (1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उन्ची परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या
- (2) केन्द्रीय सरकार के हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पदों के संबंध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या
- (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या
- (4) यह राजभाषा नियम के संलग्न प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

[नियम 10]

1.18 (ख) प्रवीणता

किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, यदि उसने :-

- (1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उन्ची कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या
- (2) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे उन्ची किसी परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था या
- (3) यह राजभाषा नियम में संलग्न प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।

[नियम 9]

1.18(a) Working Knowledge

An Employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if he has passed :-

- (1) The Matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subjects; or
- (2) The Pragya examination conducted under the Hindi Teaching Scheme of the Central Govt. or when so specified by that Govt. in respect of any particular category of posts, any lower examination under that scheme; or
- (3) Any other Examination specified in that behalf by the Central Govt.; or
- (4) If he declares himself to have acquired such knowledge in the form annexed to these rules.

[Rule 10]

1.18(b) Proficiency

An Employee shall be deemed to possess proficiency in Hindi if :-

- (1) he has passed the Matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination; or
- (2) he has taken Hindi as an elective subject in the degree or any other examination equivalent to or higher than the degree examination; or
- (3) he declares himself to possess proficiency in Hindi in the form annexed to these rules.

2 Extra by 11/11/11